



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129113

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16015/2026

आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशुआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक राय, आलोक कुमार राय, अंबुज कुमार मिश्रा, अमित राय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, पुलिस स्टेशन मांडा, जिला प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 47/2026, धारा 137(2), 140(2), 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं है और उसका नाम दिनांक 20.3.2026 को उज्जवल शर्मा और राजकुमार के इकबालिया बयानों में सामने आया है। तत्पश्चात, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 23.3.2026 को अपहृत व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया और उसने आवेदक, राजकुमार और उज्जवल शर्मा के नाम लिए। यह भी तर्क दिया गया कि प्रारंभ में जब अपहृत व्यक्ति का बयान बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, तब उसने आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों का नाम नहीं लिया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक जमानत आवेदन संख्या- 2026 का 18171 में पारित आदेश दिनांक 19.3.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20.3.2026 से जेल में बंद है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी प्रकार स्थित सह-अभियुक्त, नामतः उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, तथा आवेदक 20.3.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-आशुतोष प्रधान उर्फ हिमाशु को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक वाद को शुरू करने, आरोप विरचित करने और सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

ललित शुक्ला

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"